12 अध्याय

संविधान संशोधन

इस अध्याय में आप सीखेंगे किः

- संविधान संशोधन क्यों आवश्यक है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी संशोधन प्रक्रिया किस प्रकार होती है और किसी शासन व्यवस्था में किस स्तर तक संशोधन करना आवश्यक है।
- संविधान संशोधन में क्या-क्या समस्याएं हैं और इन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

परिचय (Introduction)

राष्ट्र की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ-साथ संविधान भी बदलना आवश्यक होता है ताकि वह बदलती हुई परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल अपने को ढाल सके। अनेक बार बदली हुई सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ सरकर के ढाँचे में परिवर्तन कर देती हैं। यदि संविधान, इन नवीन शक्तिशाली परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित न हो पाये, तो क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पं. जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि, 'हम चाहते हैं कि संविधान को यथाशक्ति ठोस और स्थायी बनायें, किन्तु संविधान शाश्वत नहीं होता। यदि संविधान को कठोर और अपरिवर्तनीय बना दिया जाये तो देश की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और एक सजीव, क्रियाशील, सावयवी राष्ट्र के विकास में बाधा पहुँचती है'।

भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। संघात्मक व्यवस्था में संविधान का कठोर होना स्वाभाविक है। ऐसे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इतनी जटिल और कठिन होती है कि संशोधन कार्य सरलता से नहीं हो पाता। विश्व में सबसे अधिक कठोर संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और सबसे अधिक लचीला संविधान ब्रिटिश संविधान है। भारतीय संविधान निर्माता न तो अमेरिकी संविधान के समान कठोर संविधान बनाना चाहते थे और न ब्रिटिश संविधान के समान लचीला संविधान। संविधान निर्माता एक ऐसे प्रलेख की रचना करना चाहते थे जो राष्ट्रीय जीवन के विकास के साथ विकसित हो सके परन्तु साथ ही इतना अधिक लचीला भी नहीं बनाना चाहते थे जिसमें आये दिन परिवर्तन होते रहें और संविधान शासक दल के हाथों का खिलौना बन जाये। अतः संविधान-निर्माताओं ने मध्यवर्ती प्रक्रिया को अपनाया जो न तो ब्रिटेन की तरह लचीली थी और न अमेरिका की तरह कठोर।

भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया (Amending Procedure of Indian Constitution)

भारत के संविधान के अध्याय 20 का शीर्षक 'संविधान का संशोधन' है। इस अध्ययन में उल्लेखित अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उपबन्ध है। इस भाग में अनुच्छेद 368 एक मात्र अनुच्छेद है। इस कारण उच्चतम न्यायालय ने सदैव ही इस अनुच्छेद को संशोधन के विषय पर अपने आप में एक पूर्ण संहिता माना है। संशोधन प्रक्रिया की दृष्टि से भारत में संविधान के अनुच्छेदों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। तीन श्रेणियों के लिए भिन्न-भिन्न संशोधन प्रक्रिया अपनायी गयी है जो इस प्रकार है:

1. **साधारण बहुमत द्वारा संशोधन**—संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। इस श्रेणी में अनुच्छेद 2, 3, 4, 100(3), 106, 108, 124(1), 169, 240, 327 तथा 348 को शामिल किया जा सकता है। इस संशोधन प्रणाली के माध्यम से नागरिकता सम्बन्धी योग्यताओं, राज्यों में विधानमण्डलों के उच्च सदन की समाप्ति और राज्यों में विधानमण्डल के उच्च सदन का निर्माण, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा नये राज्यों का निर्माण, किसी

राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन अर्थात् उसे घटाना या बढ़ाना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना आदि में संशोधन किया जा सकता है। ऐसा संशोधन करने के लिए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और एक सदन द्वारा पारित किए जाने पर उस विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पारित करने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त कर लेने पर विधेयक अधिनियम के रूप में प्रवृत्त हो जाता है।

2. **विशेष बहुमत द्वारा संशोधन**—संसद के विशेष बहुमत द्वारा किये जाने वाले संवैधानिक परिवर्तन को संविधान संशोधन कहा जाता है। इस प्रकार संविधान संशोधन करने के लिए किसी विधेयक को सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत से पारित किये गए विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। जब दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से विधेयक को पारित कर दे, तब उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने पर विधेयक अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विशेष बहुमत का तात्पर्य ऐसे बहुमत से है जो सदन की कुल सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से कम न हो। सबसे ज्यादा संशोधन इसी विधि से होता है। जैसे—मूल अधिकार राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत आदि में संशोधन।

3. **विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से संविधान संशोधन**—इस श्रेणी में संविधान के वे उपबन्ध आते हैं जो संघात्मक ढाँचे से सम्बन्धित हैं। इन उपबन्धों में संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के दो-तिहाई बहुमत तथा कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों के विधानमण्डलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। निम्नलिखित विषय ऐसे हैं जिनमें उक्त प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जाता है:

   1. राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित निर्वाचक मण्डल तथा राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया (अनुच्छेद 54 एवं अनुच्छेद 55)।
   2. संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विचार (अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162)।
   3. सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के गठन तथा क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 241, भाग 5 का अध्याय 4, भाग 6 का अध्याय 5)।
   4. संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों के बीच शक्तियों का वितरण (भाग 11 का अध्याय 1)।
   5. सातवीं सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि।
   6. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (अनुच्छेद 80 व अनुच्छेद 81, चौथी अनुसूची)।
   7. संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368)।

उक्त संशोधन प्रणाली प्रथम दो संशोधन प्रणालियों की अपेक्षा कठोर है। इसकी कठोरता का कारण है कि संविधान निर्माता यह चाहते थे कि संघात्मक व्यवस्था से सम्बन्धित प्रावधानों में परिवर्तन करते समय केन्द्र और राज्यों दोनों की सहमति प्राप्त की जाए। भारत में संघीय स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संविधान की यह कठोर प्रणाली निर्धारित की गयी है।

संशोधन प्रक्रिया की सामान्य विशेषताएँ

संविधान संशोधन प्रक्रिया की सामान्य विशेषताओं को निम्नानुसार विश्लेषित किया जा सकता है:

- **संसद को व्यापक शक्तियाँ**—भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संसद की प्रभुसत्ता को स्थापित कर उसे शक्ति-सम्पन्न स्वरूप प्रदान किया गया है। अत: संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्तियाँ संसद में ही निहित हैं।
- **अनुच्छेद 368 में संशोधन का संसद को अधिकार**—संसद को इतना सक्षम बनाया गया है कि वह न केवल संविधान के अन्य अनुच्छेदों को बल्कि संशोधन प्रक्रिया वाले अनुच्छेद 368 को भी संशोधित कर सकती है।
- **राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक**—संविधान संशोधन विधेयक तभी पारित माना जाता है जब उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी संशोधन विधेयक पर अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता है, यह संविधान के 42वें संशोधन में स्पष्ट कर दिया गया है। यह व्यवस्था अमेरिकी संविधान से दृष्टि से भिन्नता लिए हुए है कि वहाँ संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वहाँ संविधान में राष्ट्रपति की औपचारिक भूमिका ही है।
- **आधे राज्य विधान मण्डलों का अनुसमर्थन**—भारत में कतिपय संविधान संशोधनों को पारित किये जाने के लिए आधे राज्यों के विधानमण्डलों का अनुसमर्थन होना आवश्यक है। इस प्रकार राज्य संसद द्वारा पारित संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन कर सकता है। उन्हें संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
- **संघात्मक व्यवस्था की सुदृढ़ता का ध्यान**—संशोधन प्रक्रिया का निर्धारण करते समय संघात्मक व्यवस्था की सुदृढ़ता को ध्यान में रखा गया है जिससे संघीय इकाइयों को असन्तोष न हो। संघात्मक व्यवस्था से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्य विधानमण्डलों की स्वीकृति का प्रावधान रखकर संविधान-निर्माताओं ने देश की एकता और अखण्डता को सुरक्षित रखने का भागीरथ प्रयास किया है।
- **नम्यता और अनम्यता का मिश्रण**—संशोधन-प्रक्रिया न एकदम लचीली है और न एकदम कठोर है। इसमें नम्यता और अनम्यता का सुन्दर सम्मिश्रण है जैसा कि एम.वी.पायली का मानना है कि 'ऐसा कोई अन्य संघात्मक संविधान नहीं है जो नम्य तथा अनम्य दोनों ही प्रकार की संशोधन प्रक्रिया का प्रयोग करे। यह विशेषता केवल भारतीय-संविधान में ही है'।
- **जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं**—भारत में संविधान-संशोधन के लिए जनमत-संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जैसा कि स्विट्जरलैण्ड के संविधान में विद्यमान है।

संशोधन प्रक्रिया की समस्याएं

भारत की संविधान-संशोधन प्रक्रिया में निम्नलिखित समस्याएं हैं:

- **संशोधन करना सरल**—संशोधन प्रणाली कठिन है। जैसा कि आइवर जेनिम ने भविष्यवाणी की थी कि संविधान के विशाल आकार और

संशोधन प्रक्रिया के कुछ जटिल होने के कारण भारतीय संविधान में समयानुकुल संशोधन लाना कठिन होगा, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात् हुए संविधान संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में जैनिंग्स की यह भविष्यवाणी सही सिद्ध नहीं हुई और अनेक महत्त्वपूर्ण संविधान संशोधन बिना किसी कठिनाई के सम्पन्न हो गये।

- **राज्यों को संशोधन प्रस्ताव का अधिकार नहीं**— भारत एक संघात्मक राज्य है फिर भी राज्यों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं दिया जाना संघीय भावना के प्रतिकूल है। अत: राज्यों को भी संविधान संशोधन प्रस्तावित किये जाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, लेकिन इस संदर्भ में इस पहलू को ध्यान रखा जाना चाहिए कि संविधान और संघीय शासन-व्यवस्था से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयों पर राज्य-विधानमण्डलों की स्वीकृति का प्रावधान रखा गया है। अत: राज्यों को संविधान संशोधन का महत्त्व प्राप्त हो गया है।
- **आधे राज्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं**—संशोधन प्रणाली की आलोचना इस दृष्टि से की जाती है कि 'आधे राज्यों' शब्दों का अर्थ पूर्णतया स्पष्ट नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्यों की जनसंख्या वाले पहलू की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यह हो सकता है कि किसी संविधान संशोधन की उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, तमितलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा और गुजरात जैसे बड़े राज्यों के विधानमण्डलों से तो पुष्टि नहीं कराई जाये, जो देश की तीन-चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। शायद संविधान निर्माताओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट ही नहीं हुआ था। इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था होनी ही चाहिए कि किसी भी संविधान संशोधन का अनुसमर्थन करने वाले राज्य विधानमण्डल देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें, इससे यह कमी दूर हो जायेगी। इस कमी को दूर किया जाना नितान्त आवश्यक है।
- **राष्ट्रपति की स्वीकृति का प्रावधान उचित नहीं**—संविधान के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की स्वीकृति की अनिवार्यता के प्रावधान की यह कहकर आलोचना की जाती है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद और राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति के बाद ही संशोधन को पारित समझा जाना चाहिए और राष्ट्रपति की स्वीकृति की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। वहाँ संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं है, अत: भारत में राष्ट्रपति की स्वीकृति का प्रावधान रखना आवश्यक नहीं होना चाहिए।
- **अन्धाधुंध संशोधन**—स्वतंत्रता के पश्चात् देश में किये गये संविधान संशोधनों के अंधाधुंध क्रम में संशोधन पद्धति की असफलता को उजागर कर दिया है। आलोचकों का यहाँ तक कहना है कि इन व्यापक संविधान संशोधनों के कारण 'मूल संविधान' तो समाप्त हो गया है, केवल 'संशोधन' बाकी रह गये हैं।

तालिका 12.1: प्रमुख संविधान संशोधन

संशोधन क्रमांक		संशोधन का वर्ष	संशोधन के प्रावधान
1.	पहला संविधान संशोधन अधिनियम, 1951	1951	स्वतंत्रता के अधिकार पर राज्य की सुरक्षा विदेशों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार के हित में या न्यायालय की अवमानना या अपराध को उकसाने के संबंध में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य को दे दिया गया। अनुच्छेद 31(क) और 31(ख) द्वारा संपत्ति के अधिकार के प्रश्न पर न्यायालय के अधिकार सीमित कर दिया गया।
2.	दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम, 1952	1953	अनुच्छेद 81 के उपबंध 1(बी) में संशोधन कर प्रत्येक 7.5 लाख की जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के उपबंध का समापन।
3.	तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम, 1954	1955	सातवीं अनुसूची की तीसरी सूची की प्रविष्टि 33 में संशोधन।
4.	चौथा संविधान संशोधन अधिनियम, 1955		अनुच्छेद 31, 31(क), 305 में संशोधन। केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार लोक-कल्याण के लिए किसी की संपत्ति मुआवजा देकर ले सकेगी और मुआवजे का प्रश्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा।
5.	पाँचवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1955	1955	अनुच्छेद 3 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयकों को राष्ट्रपति राज्य विधानमण्डलों के विचारार्थ प्रेषित करेगा।
6.	छठा संविधान संशोधन अधिनियम, 1956	1956	अनुच्छेद 286, 269 तथा 7वीं अनुसूची की प्रथम सूची में संशोधन। प्रथम सूची में अनुच्छेद 92 को सम्मिलित करके समाचार-पत्रों को छोड़कर ऐसे अन्य मालों के क्रय-विक्रय पर कर लगाने का अधिकार संघ सरकार को दे दिया गया है, जबकि अंतर-राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के विषय में यह क्रय-विक्रय हुआ है।

(Continued)

संशोधन क्रमांक		संशोधन का वर्ष	संशोधन के प्रावधान
7.	सातवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956	1956	(क) अनुच्छेद 1, 81, 131, 168, 216, 217, 220, 222, 224, 350, 371 का भाग 8, 298, प्रथम तथा चतुर्थ अनुसूची में संशोधन। (ख) राज्यों का वर्गीकरण समाप्त। एक ही स्तर के 14 राज्य व 6 केन्द्र शासित क्षेत्र। (ग) लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 520 निर्धारित, जिसमें 500 राज्यों के तथा 20 केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। (घ) विधानपरिषद् की सदस्य संख्या उस राज्य की विधान सभा के तृतीयांश से अधिक व 40 से अधिक नहीं होगी। (च) विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है।
8.	आठवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1959	1960	अनुच्छेद 334 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में प्राप्त आरक्षण 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया।
9.	नौवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1960	1960	बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात (दो राज्यों) में बाँटा गया। प्रथम अनुसूची में संशोधन कर बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तांतरित।
10.	दसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1961	1961	अनुच्छेद 240 व प्रथम अनुसूची में संशोधन कर दादर और नागर हवेली को भारत के संघ राज्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया।
11.	ग्यारहवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1961	1961	अनुच्छेद 68(1) और 71(3) . राष्ट्रपति का निर्वाचन इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि निर्वाचकगण का निर्वाचन अपूर्ण है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आवश्यक है।
12.	बारहवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1962	1962	अनुच्छेद 240 तथा प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन और दीव को भारत के संघ राज्य क्षेत्र का अंग घोषित किया गया।
13.	तेरहवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1962	1962	नागालैण्ड को भारत संघ का सोलहवाँ राज्य घोषित किया गया।
14.	चौदहवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1962	1962	गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर केन्द्रशासित क्षेत्रों के लिए विधानमण्डलों का निर्माण। पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र में समाविष्ट। लोकसभा में इनकी सदस्य संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई।
15.	पंद्रहवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1963	1963	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 226 का भी विस्तार किया गया ताकि उच्च न्यायालय को विशेष शक्तियाँ प्रदान की जा सकें।
16.	सोलहवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1963	1963	अनुच्छेद 19 में संशोधन करके संसद को भारत की एकता तथा अखंडता के हित में मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक कानून बनाए जाने की शक्ति दी गई। यह भी निश्चित किया गया कि संसद तथा राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों तथा उच्चतम व उच्च न्यायालयों को भारत की प्रभुता व अखंडता बनाए रखने की शपथ लेनी होगी।
17.	सत्रहवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1964	1964	केरल तथा मद्रास प्रांतों द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए इन्हें नवीं अनुसूची में जोड़ दिया गया।
18.	अठारहवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1966	1966	पंजाब राज्य को विभक्त कर पंजाब तथा हरियाणा दो राज्यों का गठन। चंडीगढ़ को संघीय क्षेत्र घोषित किया गया। अनुच्छेद 3 में यह स्पष्टीकरण दिया गया कि संसद को नए राज्य के निर्माण का अधिकार है।

(Continued)

तालिका 12.1: प्रमुख संविधान संशोधन *(Continued)*

संशोधन क्रमांक		संशोधन का वर्ष	संशोधन के प्रावधान
19.	उन्नीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1966	1966	अनुच्छेद 324 में संशोधन कर निर्वाचन संबंधी विवाद हल करने की चुनाव आयोग की शक्ति को उससे लेकर उच्च न्यायालय को दे दिया गया।
20.	बीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1966	1966	अनुच्छेद 233(क) जोड़कर उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में जिला-जजों की नियुक्ति को वैधानिक बताया गया।
21.	इक्कीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1967	1967	सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया।
22.	बाइसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1969	1969	अनुच्छेद 244(क) जोड़कर असम के कुछ पहाड़ी हिस्सों को संगठित कर 'मेघालय' नामक स्वायत्तशासी राज्य गठित करने की शक्ति संसद को दी गई। अत: 371(ख) के अंतर्गत संसद को नागालैण्ड के बारे में विशेष उपबंध करने की शक्ति दी गई।
23.	तेइसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1970	1970	संसद और राज्यविधन मंडलों में आरक्षण
24.	चौबीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971	1971	अनुच्छेद 13 में खंड(4) जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद को संविधान के किसी भी भाग में, जिसमें मूल अधिकार भी सम्मिलित हैं, संशोधन करने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए आवद्ध कर दिया गया।
25.	पच्चीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971	1972	अनुच्छेद 31(2) में संशोधन कर 'मुआवजा' के स्थान पर 'रकम' शब्द जोड़ा गया तथा स्पष्ट किया गया कि यह राशि नकद न दी जाकर अन्यथा दी जा सकेगी। नया अनुच्छेद 31(ग) जोड़कर स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) को प्रभावित करने वाले किसी कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वह अनुच्छेद 14, 19 अथवा 31 में अंतर्निविष्ट किसी अधिकार का अतिक्रमण करता है।
26.	छब्बीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971	1971	भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों के प्रिवीपर्स को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राजाओं को दी गई मान्यता भी समाप्त कर दी गई।
27.	सत्ताइसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971	1971	अनुच्छेद 240 में संशोधन कर अरूणाचल प्रदेश तथा मिजोरम नए संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। अनुच्छेद 371(ग) व अनुच्छेद 239(ख) जोड़ा गया और व्यवस्थापिका वाले संघ प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई।
28.	अट्ठाइसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1972	1972	अनुच्छेद 314 का लोप कर आई.सी.एस. में कार्यरत सदस्यों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की शक्ति संसद को दे दी गई।
29.	उन्नतीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1972	1972	केरल भूमि सुधार अधिनियम 1969 ई. तथा केरल भूमि सुधार संशोधन कानून, 1971 को संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए उन्हें नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया।
30.	तीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1972	1973	अनुच्छेद 133(1) में संशोधन कर उच्चतम न्यायालय में होने वाली अपीलों को सीमित कर दिया गया। अब केवल वही अपीलें हो सकेंगी जिनमें सामान्य हित-संबंधी कानून का प्रश्न अंतग्रस्त हो।
31.	इक्कतीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1973	1973	लोकसभा को सदस्य संख्या की सीमा 545 कर दी गई। संघीय शासित क्षेत्रों के 20 तथा राज्यों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 525 होगी।
32.	बत्तीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1973	1974	अनुच्छेद 371 में संशोधन कर अनुच्छेद 371(ख) जोड़ा गया, जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए छ: सूत्रीय विशेष प्रावधान किए गए।

(Continued)

संशोधन क्रमांक	संशोधन का वर्ष	संशोधन के प्रावधान
33. तैंतीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1974	1974	अनुच्छेद 101 एवं अनुच्छेद 120 का संशोधन कर यह उपबंधित किया गया कि राज्यों के विधानमण्डल या संसद के सदस्य अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देते हैं तो अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वह त्यागपत्र स्वैच्छिक व असली है।
34. चौंतीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1974	1974	उड़ीसा, त्रिपुरा सहित अन्य राज्यों द्वारा पारित भू-सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया।
35. पैंतीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1974	1975	सिक्किम को सहयोजित राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
36. छत्तीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975	1975	सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
37. सैंतीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975	1975	अरूणाचल प्रदेश में विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन की व्यवस्था की गई।
38. अड़तीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975	1975	अनुच्छेद 123, 213, 239ख, 352, 356, 359 व 360 में संशोधन। राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा तथा राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश के प्रख्यान को न्यायपालिका के पुनर्विलोकन के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया।
39. उनतालीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975	1975	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर कर दिया गया।
40. चालीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976	1976	64 नए केन्द्रीय व राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को नवीं अनुसूची में जोड़ा गया। अनुच्छेद 297 में संशोधन किया गया। संशोधित अनुच्छेद 297 संसद को समय-समय पर विधान बनाकर भारत के राज्य-क्षेत्रीय सागर, खण्ड, महाद्वीपीय मग्न तट-समुद्र के नीचे की सब भूमियों और आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है।
41. इकतालीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976	1976	संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई।
42 बयालीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976	1976	संविधान की कुल 59 धाराओं में परिवर्तन किया गया। भारत को 'समाजवादी' एवं 'धर्मनिरपेक्ष' राज्य घोषित करते हुए इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति के लिए मंत्रीपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को किसी भी राज्य मे सेना भेजने का अधिकार दिया गया। 2001 तक लोकसभा एवं राज्य-विधानसभाओं की सदस्य संख्या में वृद्धि पर रोक लगा दी गई। राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में कुछ नए तत्त्व जोड़े गए, यथा-बच्चों में स्वस्थ विकास हेतु अवसर और सुविधाएँ प्रदान करना, समाज के कमजोर वर्गों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाना तथा देश के पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार। उच्चतम व उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित कर दिया गया।
43. तैंतालीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1977	1978	42वें संविधान संशोधन द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की शक्तियाँ छीन गईं थीं, वह उन्हें वापस कर दी गईं।
44. चौवालीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978	1979	1. सम्पत्ति को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर उसे मामूली संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया।

(Continued)

तालिका 12.1: प्रमुख संविधान संशोधन *(Continued)*

संशोधन क्रमांक		संशोधन का वर्ष	संशोधन के प्रावधान
			2. अनुच्छेद 30 में यह व्यवस्था की गई कि अल्पसंख्यकों की संस्थाओं का अधिग्रहण किए जाने पर मुआवजे की व्यवस्था बरकरार रहे। 3. राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के अधीन केवल बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा का अधिकार होगा। 4. अनुच्छेद 356 के अधीन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई। तीन वर्ष तक राष्ट्रपति शासन तभी रह सकता है, जब चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि संबद्ध राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते। 5. अनुच्छेद 359 को भी संशोधित किया गया, जिसके अनुसार आपातकाल में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा भी किसी नागरिक की स्वाधीनता और जीवन का अधिकार छीना नहीं जा सकेगा। 6. एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबद्ध शंकाओं और विवादों का फैसला उच्चतम न्यायालय करेगा। 7. अनुच्छेद 74 को पुन: संशोधित किया गया जिसके अनुसार यद्यपि राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल के परामर्श का अनुसरण करने के लिए बाध्य होगा तथापि उसे यह अधिकार होगा कि वह उसकी सिफारिश को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमण्डल को वापस भेज सके। पुनर्विचार के बाद मंत्रिमण्डल का निर्णय राष्ट्रपति स्वीकार करेगा। 8. लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुन: 5 वर्ष कर दिया गया। 9. राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के प्रयोग पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जो अग्रांकित हैं— (क) मंत्रिमण्डल के सामूहिक निर्णय को लिखित में भेजे जाने के बाद ही राष्ट्रपति आपात की घोषणा करेगा। (ख) घोषणा को 30 दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक। (ग) संसद के दो तिहाई बहुमत की अनुमति के बिना घोषणा का महत्त्व 6 माह से अधिक नहीं। (घ) यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित रूप से संकटकाल को बनाए रखने के विरोध (विपक्ष) में सूचना देते हैं, तो सूचना मिलने के 14 दिनों में लोकसभा की विशेष बैठक बुलाना आवश्यक।
45.	पैंतालीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1980	1980	लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष और बढ़ा।
46.	छियालीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1982	1983	अनुच्छेद 269, 286, 366 और सातवीं अनुसूची में संशोधन। राज्यों द्वारा पारित बिक्री–कर संबंधी अनुच्छेद के प्रशासन में उत्पन्न परेशानियों को दूर करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया गया।
47.	सैतालीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1984	1984	14 राज्यों के भूमि–सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में जोड़ा गया ताकि उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो।
48.	अड़तालीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1984	1984	अनुच्छेद 356 के खण्ड (5) में अंत:स्थापित करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि दो साल की गई।

(Continued)

संशोधन क्रमांक		संशोधन का वर्ष	संशोधन के प्रावधान
49.	उन्चासवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 19874	1984	अनुच्छेद 244, पाँचवीं और छठी अनुसूची में संशोधन कर मेघालय तथा त्रिपुरा के आदिवासियों को जिला–क्षेत्र में भी कुछ विशेष सुविधाएँ प्रदान करने का प्रावधान किया गया।
50.	पचासवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1984	1984	अनुच्छेद 33 में संशोधन कर उपबंधित किया गया कि सेना, कानून–व्यवस्था बनाए रखने वाले लोग, जन–संपत्ति की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों, गुप्तचर और सुरक्षा सेनाओं के संचार माध्यमों से जुड़े लोगों के मूल अधिकार रद्द या स्थगित किए जा सकते हैं।
51.	इकावनवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1984	1984	अनुच्छेद 330(1) और 332(1) में संशोधन। नागालैण्ड के स्वतंत्र राज्य बनने के कारण इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी। इसके द्वारा मेघालय, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया तथा नागालैण्ड और मेघालय की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।
52.	बावनवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1985	1985	इसका उद्देश्य दल–बदल पर रोक लगाना है। इस संशोधन द्वारा दल–बदल कानून के रूप में संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अनुसार किसी संसद या विधानसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यदि— 1. वह स्वेच्छा से अपने दल से त्याग पत्र दे दे। 2. यदि वह दल के प्राधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना सदन में उसके निर्देशों के प्रतिकूल मतदान करे या अनुपस्थित रहे। 3. यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाए। 4. यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के छः माह बाद किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाए।
53.	तिरेपनवा संविधान संशोधन अधिनियम, 1985	1985	अनुच्छेद 371 जोड़कर मिजोरम (23वें राज्य) को नया राज्य बनाया गया।
54.	चौवनवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1986	1986	उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई। (अनुसूची–2, भाग घ में संशोधन कर)
55.	पचपनवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1987	1986	अरूणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 371ज को जोड़कर, 24वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
56.	छप्पनवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1987	1987	गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। (दमन व दीव से अलग कर) अनुच्छेद 371झ स्थापत कर गोवा के लिए 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान।
57.	सत्तावनवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1987	1987	नागालैण्ड, मिजोरम, मेघालय तथा अरूणाचल प्रदेश में संशोधन अनुसूचित जनजातयों के लिए लोकसभा में तथा नागालैण्ड और मेघालय की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई (अनु. 332 में संशोधन कर)
58.	अठावनवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1987	1987	भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान का अधिकृत हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया (संविधान में 394क जोड़कर)।
59.	उनसठवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1988	1988	केन्द्र सरकार आंतरिक उपद्रवों के आधार पर पंजाब में आपातकाल लागू कर सकती है। पंजाब में राष्ट्रपति तीन वर्ष तक के लिए लागू की जा सकती है। अनु. 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार की राष्ट्रपति केवल पंजाब में निलम्बित कर सकता है।
60.	साठवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1988	1988	जिन राज्यों में व्यवसायिक कर लगाने की व्यवस्था है, वहाँ इसकी अधिकतम राशि 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई (अनु. 276(2) संशोधन कर)।

(Continued)

तालिका 12.1: प्रमुख संविधान संशोधन *(Continued)*

संशोधन क्रमांक		संशोधन का वर्ष	संशोधन के प्रावधान
61.	इकसठवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1989	1989	अनुच्छेद 326 में संशोधन कर वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
62.	बासठवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1989	1989	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया (अनु. 334 में संशोधन कर)।
63.	तिरसठवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1990	1989	पंजाब संबंधी 59वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया गया।
64.	चौसठवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1990	1990	अनुच्छेद 356 में खण्ड (4) एवं (5) में परंतुक जोड़कर पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि तीन वर्ष की जगह 'तीन वर्ष 6 माह' के लिए बढ़ाया गया।
65.	पैसठवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1990	1990	अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध किया गया।
66.	छियासठवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1990	1990	विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 55 भूमि सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में जोड़ा गया। 203 से 257 तक।
67.	सड़सठवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1990	1990	अनुच्छेद 356 के खण्ड (4) में संशोधन कर पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 4 वर्ष तक बढ़ा दी गई।
68.	अड़सठवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1991	1991	अनुच्छेद 356 के खण्ड (4) में संशोधन करके '4 वर्ष' के स्थान पर '5 वर्ष' किया गया क्योंकि पंजाब में चुनाव संभव नहीं थे।
69.	उनहत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1991	1991	दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 239 (क क) और 239 (क ख) जोड़े गए। इसके द्वारा संघ क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया तथा उसका नाम 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' रखा गया। इसके लिए 70 सदस्यीय विधान सभा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया।
70.	सत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992	1992	संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में सम्मिलित किया गया। इस समय तक दिल्ली एवं पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों में ही विधानसभाएँ हैं, इसलिए इनके सदस्यों को ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में रखा गया है। अनुच्छेद 54 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया।
71.	इकहत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992	1992	कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अब 8वीं अनुसूची में कुल 18 भाषाएँ हो गईं।
72.	बहत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992	1992	त्रिपुरा विधानसभा में स्थानों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई।
73.	तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992	1993	संविधान में एक नया भाग, भाग 9 तथा एक नई अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है।
74.	चौहत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992	1993	संविधान में नया भाग, भाग 9.क तथा एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा नगरीय क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बारहवीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख है, जिन पर नगरपालिकाओं को कानून बनाने का अधिकार है।
75.	पचहत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993	1993	भवन-किराए संबंधी मामलों को हल करने के लिए अधिकरणों की स्थापना की गई। ऐसे मामलों पर अब न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी (अनु. 223(ख) में संशोधन)।

(Continued)

संशोधन क्रमांक		संशोधन का वर्ष	संशोधन के प्रावधान
76.	छिहत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1994	1994	तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 69 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम को नवीं सूची में जोड़ा गया।
77.	सत्तहत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1995	1995	अनुच्छेद 16 में नया खण्ड (4क) जोड़ा गया जो उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 16 की कोई बात राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य-सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, पदोन्नति के लिए आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
78.	अठहत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1995	1995	बिहार, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के 27 भूमि सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया।
79.	उनयासिवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1999	1999	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ा दी गई तथा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर '50 वर्ष' की जगह '60 वर्ष' लिखा गया।
80.	अस्सीवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2000	2000	अनुच्छेद 269(1) व (2) के स्थान पर नया खंड तथा अनुच्छेद 270 के स्थान पर नया खण्ड प्रतिस्थापित किया गया है तथा अनुच्छेद 272 का लोप कर दिया गया है। ऐसा 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर हुआ है। केन्द्रिय करों में राज्यों का हिस्सा।
81.	इक्यासीवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2000	2000	अनुच्छेद 16 में खण्ड (4ख) अंत:स्थापित कर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजतियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 50% सीमा, जो इंद्रा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय ने लगाई थी, को समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन के उपरांत अब एक वर्ष न भरी जाने वाली बकाया रिक्तियों को अलग वर्ग माना जाएगा और उन्हें अगले वर्ष भरा जाएगा, भले ही उसकी सीमा 50% से अधिक हो।
82.	बयासीवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2000	2000	अनुच्छेद 335 में परंतुक जोड़कर उपबंधित किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के लिए होने वाली किसी परीक्षा में उनके लिए अर्हता अंकों या मूल्यांकन के मानकों में छूट प्रदान की जा सकती है।
83.	तिरासीवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2000	2000	अनुच्छेद 243(घ) में खंड 3(क) जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 (घ) प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इस संशोधन द्वारा अरूणाचल प्रदेश को 243(घ) से बाहर रखा गया है क्योंकि वहाँ अनुसूचित जातियों का कोई अस्तित्त्व नहीं है।
84.	चौरासीवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2001	2001	लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक असंशोधनीय।
85.	पचासीवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2001	2001	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण बहाल किया गया।
86.	छियासीवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002	2002	अनुच्छेद 21 में 21ए जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के संशोधन बालकों को नि:शुल्क शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया तथा मूल कर्त्तव्य में एक कर्त्तव्य और जोड़कर माता-पिता एवं संरक्षकों का यह कर्त्तव्य माना गया है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवायेंगे।
87.	सत्तासीवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003	2003	निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर किए जाने की व्यवस्था।
88.	अट्ठासीवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003	2003	अनुच्छेद 268, 270 एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया।
89.	नवासीवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003	2003	इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338(क) जोड़ा गया जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है।

(Continued)

तालिका 12.1: प्रमुख संविधान संशोधन *(Continued)*

संशोधन क्रमांक		संशोधन का वर्ष	संशोधन के प्रावधान
90.	नब्बेवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003	2003	अनुच्छेद 332(6) में यह जोड़ा गया कि असम विधान सभा चुनावों के लिए अनुसूचित जातियों एवं गैर अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बोडोलैण्ड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक गठित होने के पूर्व जैसी स्थिति में रखा जाएगा।
91.	इक्यानवेवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003	2003	अनुच्छेद 75, 164 तथा 10वीं अनुसूची में संशोधन कर दल-बदल पर रोक के साथ-साथ मंत्रिमण्डल के आकार को सीमित करने का प्रावधान।
92.	बानवेवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003	2003	बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब 8 वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हो गई हैं।
93.	तिरानवेवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2005	2005	निजी एवं बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनु. 15 में एक नया उपखण्ड 15(5) जोड़ा गया।
94.	चौरानवेवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2006	2006	मध्य प्रदेश, उड़ीसा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड को सम्मिलित किया है। यहाँ अनसुचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान है। बिहार को इस सूची से हटा दिया गया है।
95.	95वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2010	2009	अनु. 334 में संशोधन कर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 26 जनवरी 2010 से 26 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
96.	96वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011	2011	आठवीं अनुसूची में संशोधन कर उड़िया के स्थान पर ओडिसा कर दिया गया है।
97.	97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2012	2012	अनुच्छेद 19 में संशोधन 2011 में आया सहकारी समितियों को भाग 9(ख) तथा अनुच्छेद 43(ख) में रखा गया है। इसके द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
98.	98वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2012	2012	इसके द्वारा 371(झ) जोड़ा गया। कर्नाटक राज्य के हैदराबाद—कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया। इस संशोधन की लक्ष्य ऐसे संस्थागत क्षेत्र की स्थापना से है जो कि विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ मानव संसाधन को बढ़ाने तथा शैक्षिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण से सेवा और आरक्षण के साथ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निवासियों तथा संस्थाओं को धन का न्याय संगत आवंटन करना है।
99.	99वें	2014	न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया।
100.	100वाँ	2015	भारत बांग्लादेश भूमि की अदला-बदली
101.	101वाँ	2017	GST का प्रावधान

अध्याय सार संग्रह

- संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है।
- भारत में संविधान में संशोधन करने के लिए जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जैसा कि स्विटजरलैंड के संविधान में है।
- अनुच्छेद 368 में भी संशोधन करने का अधिकार संसद को है। वह न केवल संविधान के अन्य अनुच्छेदों को बल्कि संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 को भी संशोधित कर सकती है।
- संविधान के सातवें संशोधन अधिनियम द्वारा विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है।
- दसवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दादर और नागर हवेली को भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया।
- वर्ष 2006 में 94वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड अनुसूचित जनतातियों कल्याण के लिए एक मंत्री बनाये जाने का प्रावधान किया गया और बिहार को इस सूची से हटा दिया गया है।
- 41वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा निवृति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई।
- 44वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पत्ति को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर उसे मामूली संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया।
- 85वाँ संविधान द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति के लिए आरक्षण प्रदान किया गया।